

संख्या : जी0एस0 / शिक्षा / A3-121/2021

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड**

महोदय,

देहरादून दिनांक जुलाई, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2142/मान्यता/के0यू0/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय महाविद्यालय, भतरौंजखान, अल्मोड़ा को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, भतरौंजखान, अल्मोड़ा	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	80 सीट प्रति विषय	सत्र 2019-20

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- यद्यपि महाविद्यालय के मानक पूर्ण नहीं है साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को एक बार समाधान के आधार पर लिये गये निर्णय के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 एवं 2018-19 की सम्बद्धता पर निर्णय सम्बन्धी आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं तथापि छात्र हित एवं वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु कार्योत्तर स्वीकृति/सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है किन्तु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सत्र 2019-20 की सम्बद्धता दिये जाने के निर्णय से पूर्व एक बार समाधान के आधार पर लिये गये निर्णय के अनुरूप सत्र 2017-18 एवं 2018-19 की सम्बद्धता पर निर्णय लेगी तदोपरान्त सत्र 2019-20 की सम्बद्धता पर निर्णय लेगी। विश्वविद्यालय लिये गये निर्णय से इस सचिवालय को अवगत करायेगा।

3- विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय में विषयवार/मानकानुसार पुस्तक, फर्नीचर एवं एन्टी रैगिंग कमेटी के गठन के साथ ही अन्य अवस्थापना सुविधायें पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

4- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(बृजेश कुमार संत)**  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1067 (1)/जी0एस0 / शिक्षा / A3-121/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भतरौंजखान, (अल्मोड़ा)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**  
कुलाधिपति के अपर सचिव।